दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास मार्ग योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद के दुर्बल आय वर्ग 04 मंजिले भवनों के नम्बरिंग ड्रा सम्बन्धी सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद में दिनांक 19.09.2009 से 16.11.2009 तक चार मंजिले दुर्बल आय वर्ग भवनों का पंजीकरण खोला गया था। जिसका पात्रता ड्रा दिनांक 31.05.2012 को किया जा चुका है। सफल आवेदकों के मध्य निर्मित किये गये दुर्बल आय वर्ग भवनों का नम्बरिंग ड्रा दिनांक 21.11.2012 को सेक्टर-16 कन्वेन्शन सेन्टर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, वसुन्धरा गाजियाबाद में प्रातः 11:00 बजे से किया जायेगा। नम्बरिंग ड्रा में सम्मिलित किये जाने वाले आवेदकों की सूची निर्धारित नम्बरिंग तिथि से तीन दिन पूर्व परिषद की वेबसाईट पर देखी जा सकती है। परिषद नियमानुसार यथासम्भव ग्रुपिंग की सुविधा अनुमन्य है जिसमें कोई दो व्यक्ति दिनांक 19.11.2012 तक अपनी लिखित सहमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद में दे सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई सहमति मान्य नहीं होगी। नम्बरिंग ड्रा आय / जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन मान्य होगा। अतः दिनांक 31.05.2010 को पात्रता ड्रा में सफल आवेदक नम्बरिंग ड्रा के समय अपने चालान की चतुर्थ प्रति एवं फोटो पहचान पत्र सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बिना चालान की चतुर्थ प्रति एवं फोटो पहचान पत्र के बिना स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा।

आवास आयुक्त

(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : http://www.upavp.com E-mail : upavp@sancharnet.in